हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा देवी जाट बनाम मांगु जाट वगैरह किस्म-वाद नं-96/05

01.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकार महुआखुर्द में पेश हुई। विपक्षी संख्या 01 को छोडकर शेष पक्षकारान नियत शिविर पर अनुपस्थित। पत्रावली का बारिखी से अध्ययन/परिक्षण किया गया। विपक्षी संख्या 06 का पुत्र भगवती जाट नियत शिविर के दौरान उपस्थित होकर अपने पिता भवाना पिता उंकार जाट निवासी बांसा का खेडा का वर्ष 2012 में ही देहान्त हो जाने से केम्प न्यायालय को अवगत कराया। यानि विगत 06 वर्षो से वादीगण की और से वादपत्र में मृतक विपक्षी संख्या 06 के कायम मुकाम अब तक प्रस्तुत नही गये है। उनके द्वारा यह भी बताया कि इस वादपत्र से सम्बन्धित एक अन्य वाद बाबत कथित रजिस्ट्री केन्सिलेशन का विपक्षी संख्या 06 के वारिसान की और से अपने पिता भवाना जाट व अन्य के विरूद्ध माननीय सिविल न्यायालय भीलवाडा में दायर किया गया था। इस उपरोक्त वादपत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराये जाने बाबत कई मर्तबा उभयपक्षों को स्मरण कराया जाता रहा है। किन्तु उभयपक्षो में से अब तक किसी की और से इस न्यायालय के निर्देशो की पालना नही की गई है। जो कि न्यायिक दृष्टी से बेहद खेदजनक है। एक ही विषय को लेकर बार बार स्मरण कराया जाना भी उचित नही है। इस सन्दर्भ में और अतिरिक्त अवसर दिये जाने का भी कोई संतोषप्रद कारण वादीगण के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में सुझाया नही गया है। एक ही चरण पर पत्रावली को निरन्तर सुनावई पर चलाये जाने से न्यायालय का समय व श्रम दोना जाया होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वादीगण की गैर अनुपालना में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बनेडा जिला